उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

Misc. Petition No–13/2019

ललीता देवी

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक। 5/1/25

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदिका ललीता देवी पति–दामोदर यादव सा0–कस्तुरी यादव टोला, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र कस्तुरी यादव टोला के सहायिका पद पर चयन करने हेतु अनुरोध किया गया है। उनका आगे कथन है कि ग्रामसभा में सहायिका पद के लिए चार महिला ने उम्मीदवारी दिया। उन चार उम्मीदवारों में से एक की उम्मीदवारी 18 वर्ष से कम आयु के कारण खारिज कर दी गयी। दूसरे की उम्मीदवारी केन्द्र के बाहुल्य वाली जाती के सदस्य नहीं होने के कारण खारीज कर दी गई। शेष दो उम्मीदवार आवेदिका एवं रीता देवी जो गांव की बहु थी। सरकार के दिशा–निर्देश के तहत शैक्षणिक योग्य धारित करती है। आवेदिका को मैट्रिक में 444 अंक प्राप्त है एवं रीता देवी को 375 अंक प्राप्त है, उसके बावजूद आवेदिका का चयन सहायिका के पद पर नहीं किया गया, यह कहते हुए कि ग्रामीणों ने मेरे चयन में विरोध किया है। आम सभा में लिए गए प्रस्ताव के विरूद्ध आवेदिका ने मान्नीय उच्च न्यायालय,राँची में वर्ष 2015 में रिट याचिका दायर किया है। उक्त रिट याचिका लंबित रहने के दरम्यान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,गोड्डा के ज्ञापांक–2541 दिनांक–07.02.2017 के अनुपालन में दिनांक–20.12.17 को सहायिका के पद पर चयन के लिए आम सभा बुलाई गई, जिसमें मात्र आवेदिका ने ही अपनी उम्मीदवारी पेश की उसके बावजूद भी आवेदिका का चयन नहीं किया गया। उनका आगे कथन है कि उनका चयन इसलिए नहीं किया गया कि अन्य दो टोला के ग्रामीण आम सभा में भाग नहीं लिए हैं, जबकि अन्य दोनों टोला के ग्रामीण उक्त आम सभा में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया था। उनका आगे कथन है कि मान्नीय उच्च न्यायालय,रांची द्वारा आदेश दिया गया कि आवेदिका सीधे उच्च न्यायालय न आकर सरकार के गाईडलाईन संख्या–16 के मुताबिक उपायुक्त के पास जाना चाहिए। उक्त आदेश के आलोक में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदिका का चयन करने के लिए कई कारण आवेदिका के पक्ष में है:–

1.आंगनबाड़ी केन्द्र के अंतर्गत आवेदिका बाहुल्य जाति से आती है।

2.सबसे उच्च योग्यताधारी का होना।

3.आवेदिका गाव की बहु है।

4.आवेदिका के ससुर द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने हेतु झारखण्ड सरकार को दाग नं0–1066 की जमीन दान स्वरूप दिया गया है।

5.सहायिका का पद् अब तक रिक्त है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,गोड्डा से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,गोड्डा का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में अंकित है कि दिनांक–10.08.2014 को आहुत आम सभा में ग्रामीणों के विरोध के चलते रद्द किया गया तथा दिनांक–20.12.2017 को पुनः आम सभा आहुत की गई। आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र के अंतर्गत तीन टोला पड़ता है, उक्त आम सभा में केवल एक टोला के ग्रामीण उपस्थित हुए एवं दो टोला के ग्रामीण अनुपस्थित रहे, जिस कारण सहायिका चयन की प्रक्रिया पूर्ण नही हो सका।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम सभा में विभागीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन नही होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र कस्तुरी यादव टोला में आवेदिका का सहायिका के पद पर चयन नही हो पाया। अतएव जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,गोड्डा एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पोड़ैयाहाट को आदेश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्र कस्तुरी यादव टोला, पोड़ैयाहाट के सहायिका का चयन नए सिरे से विभागीय मार्ग दर्शिका के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे। तद्नुसार वाद की प्रक्रिया समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा
15/01/25

उपायुक्त
गोड्डा
15/01/25

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:39:14 +05:30
Location: 192.168.1.33